		में जारी हुए
5-3-19	आदेश की रिपोर्ट होकर वाद-पत्र पेश हुआ वकील वादी उपस्थित वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलबकर पत्रावली दिनांक 4-4-19 को पेश हो।	
4-4-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नोटिस जारी होकर नहीं आया अतः नोटिस जारी हो पत्रावली 29-5-19 को पेश हो।	
29-5-19	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अंतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18-7-19 को पेश हो।	
18-7-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट द्वारा वकालतनामा के साथ इकबालिया जवाब दावा पेश किया वादी व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया गया वादी की शिनाख्त वादी के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा की गई राजीनामा बाद तस्दीक शामिल-फाइल किया गया निर्णय हेतु पत्रावली पेश की गई।	डायरी कना Identified Advocate तस्दीक जाई Identified by

वाद संख्या 11/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मालवेना बनाम हिम्मतसिंह वगैरह

निर्णय दिनांक 18-7-19

वादी ने अन्तर्गत धारा 88, 89 के तहत दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि ख.न. 37 रकबा 2.29 हेक्टर वाके ग्राम अमरपुरा जलबन में स्थित है उक्त कृषि भूमी राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जो पुश्तैनी कृषि भूमि है पुश्तैनी कृषि भूमि मे पुत्र पौत्र का जन्म से अधिकार रहता है इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी को अपने हिस्से अनुसार कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकार है. वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया. प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया साथ ही वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया मुताबिक राजीनामा के कृषि भूमि खसरा सं. 37 रकबा 2.29 है. वाके ग्राम अमरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है वादी को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 2 को भी 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे. इसी अनुसार घोषणात्मक डिक्री फरमाई जावे.

वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार स्वीकार किया जाकर बाद तामील शामिल पत्रावली कर लिया गया है. राजीनामानुसार वादी को ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रहेगा। तदनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	